

विचार बिन्दु

दो अर्थी वाले शब्द बोलकर, किसी विशेष शब्द पर जोर देकर, या आँख के इशारे से भी झूठ बोला जाता है। इस प्रकार का झूठ स्पष्ट शब्दों में बोले गए झूठ से कहीं बुरा है। –रस्किन

नई पीढ़ी भी पढ़ती है!

कुछ बातें इतनी अधिक बार कही जाती हैं कि लोग बिना किसी संशय के, और बिना किसी जांच पड़ताल के उन्हें सच मान बैठते हैं। ऐसी अनगिनत बातों में से एक बात यह है कि नई पीढ़ी कुछ भी नहीं पढ़ती है। मैं जब भी यह बात सुनता हूं, मेरे मन में अनेक सवाल उठने लगते हैं। पहला तो यही कि आखिर नई पीढ़ी है कौन–सी? दूसरा यह कि हम कहां की नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं? भारत की नई पीढ़ी की या दुनिया पर की नई पीढ़ी की? तीसरी बात यह कि हमें इस बात का पता कैसे चला कि नई पीढ़ी पढ़ती नहीं है। चौथी बात यह कि जो इतनी सारी किताबें लिखी जा रही हैं, छापी जा रही हैं और बेची जा रही हैं, उनका उपभोक्ता कौन है? ऐसे ही और भी अनेक सवाल बराबर मन में उठते रहे हैं। आज इन सवालों पर कुछ चर्चा कर रहा हूं।

मेरा यह मानना है कि हमें नई पीढ़ी उसे मान लेना चाहिए जिसे आजकल जेन जी (उहँ) कहा जाता है। यह वह पीढ़ी है जिसका जन्म 19९7 से 2०12 के बीच हुआ है। यहीं यह भी बताया चलू कि इसके पहले वाली पीढ़ी, जिसका जन्म 1९८१ से १९९६ के बीच हुआ, को मिलेनियम्स कहा जाता है। जेन जी के बाद वाली पीढ़ी, जिसका जन्म २०१३ के बाद हुआ उसे जेनरेसन अल्फा कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं जेन जी की। भारत में जेन जी कुल आबादी का लगभग बीस प्रतिशत है। यह वह पीढ़ी है जो डिजिटल युग में जन्मी और बड़ी हुई है। इसके लिए स्मार्ट फ़ोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह बहुत आम और सहज सुलभ हैं। इन सबका असर इस पीढ़ी की पढ़ने की आदतों पर भी पड़ा है। अगर हम केवल भारत की बात करें तो इस बात को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि इस नई पीढ़ी की पढ़ने की आदत में कमी आई है। एक सर्वेक्षण में पाया गया कि इस जेन जी के ३५ प्रतिशत युवाओं को पढ़ना एकदम नापसंद है और ४५ प्रतिशत कभी–कभार मनोरंजन के लिए कुछ पढ़ लेते हैं। पढ़ने की आदत में कमी का एक प्रमुख कारण यह ह कि इस पीढ़ी के लोगों की एकाग्रता अवधि (अटेंशनस्पान) बहुत तेजी से घटी है। फिर भी इस पीढ़ी के कुछ लोग पढ़ते हैं। जब यह जानने का प्रयास किया गया कि वे क्या पढ़ना पसंद करते हैं तो पता चला कि वे रोमांस, फैण्टेसी, स्वय सहायता पुस्तकें, ऐतिहासिक और मिथकीय कथा साहित्य विशेष रूप से पढ़ना पसंद करते हैं। इस पीढ़ी की दिलचस्पी साहित्यिक कृतियों में कम हुई है, हालांकि कुछ लोग क्लासिक्स पढ़ते हैं। वैसे सारे ही पाठकों को अब कथा की बजाय कथेतर अधिक रुचने लगा है। यह जो नई पीढ़ी है इसे गंभीर साहित्यिक कृतियों की बजाय वह सामग्री अधिक आकर्षित करती है जो उनके जीवन को सफलता के मार्ग पर ले जा सके। यह पीढ़ी पारंपरिक किताब की बजाय अन्य डिजिटल माध्यमों पर पढ़ना ज़्यादा पसंद करती है और यह बात भी कम दिलचस्प नहीं है कि भारत में सन २०२५ में जेन जी की स्मार्टफ़ोन पर की जाने वाली पढ़ाई में पूरे 1०0 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अपने देश में इस जेन जी समूह का लगभग ६५ प्रतिशत हिस्सा स्मार्टफ़ोन पर ही सब कुछ पढ़ लेता है। एक और मजे की बात यह है कि यह पीढ़ी समाचार वगैरह तो अंग्रेज़ी में पढ़ती है लेकिन अन्य सामग्री खासतौर पर दूर्य ग्रन्थ माध्यमों पर हिंदी में सुनती है।

इस बात को स्वीकार करने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि भारत की जेन जी हिंदी पर अंग्रेज़ी को वरीयता देती है। उसने मान लिया है कि सफलता के दरवाजे खोलने की सामर्थ्य हिंदी से

कभी साहित्य की भाषा संस्कृत थी, अब हिलिश होने लगी है। तो बदलाव हमेशा होते हैं। अगर नई पीढ़ी की पढ़ने की रुचियां बदली हैं तो बजाय उन रुचियों की लानत मलामत करने के, हमें सदाशयता के साथ उन बदलावों को समझना होगा। इसी तरह जो सृजन कभी श्रुति परंपरा से ही प्रसारित होता था, वह ताड़ पत्र, हाथ से बनाई गई प्रतिलिपियों की राह से होता हुआ आज डेस्कटॉप पब्लिशिंग से भी आगे निकल चुका है। ऐसे में अगर आज की पीढ़ी कागज पर छपी किताब न पढ़कर टैब या स्मार्टफोन के स्क्रीन पर पढ़ती है या उसे ऑडियो बुक के रूप में सुनती है तो इन बदलावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज का समय भाग दौड़ का है। समय का सबके पास अभाव है। समय का भी और धैर्य का भी।

पहले वाली मिलेनियल्स पीढ़ी के लोग १1८ छपी हुई किताब ही खरीदते थे। किताबों के खरीदने की आदत की इस वृद्धि में बुक टॉक की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। बता दूं कि बुक टॉक उस टिक टॉक का जो भारत में फिलहाल प्रतिबंधित है, एक व्हेटफॉर्म है। लेकिन बुक टॉक ने भारत के युवाओं की पढ़ने की आदत को भी बढ़ाया है। यह माना जाता है कि बुक टॉक ने दुनिया भर में मुद्रित किताबों की विक्री में 1८ प्रतिशत की वृद्धि की है। बुक टॉक पर पुस्तकों की चर्चा, उनकी समीक्षा आदि होती है। वैश्विक स्तर पर जेन जी को जो लेखक सर्वाधिक प्रिय हैं उनमें से कुछ ये हैं: कोलीनहूवर, रुपी कौर, एंजी थॉमस, जॉन ग्रीन, मैडेलिन मिलर, निकोलायन, एमांडागोर्मेन और युवा लेखकों में ख़ास तौर पर ए.एल. स्लेड तथा ताशीभुइया। यह पीढ़ी फिक्शन भी पढ़ती है और रहस्य रोमांच, थ्रिलर, फैंटेसी में रुचि रखती है। इनके अलावा सेल्फ हेल्प, लाइफ़ स्टाइल, गोल सेटिंग और नॉन फिक्शन में मेमॉयर् इन्हें बहुत पसंद हैं।

जहां तक बात मुद्रित किताबों की है, मैं हमेशा यह सवाल करता हूं कि अगर लोग (जिनमें युवा पीढ़ी भी शामिल है) पढ़ नहीं रहे हैं तो इतनी सारी किताबें लिखी किनके लिए जा रही है? छप क्यों रही है? प्रकाशन गढ़ बंद क्यों नहीं हो रहे हैं? नए नए प्रकाशक क्यों बाज़ार में आ रहे हैं? ज़ाहिर है कि किताबें छप रही हैं और बिक भी रही हैं। देश भर में जो इतने सारे साहित्य उत्सव हो रहे हैं और वहां जो बड़ी भीड़ देखी जा रही है, क्या उसकी किताबों में कोई रुचि है ही नहीं? अगर साहित्य उत्सव को एक व्यवसाय मानकर भी बात करें तो कोई व्यवसाय उपभोक्ता के बगैर तो नहीं चल सकता है।

असल में जब पिछली पीढ़ी के हम लोग यह कहते हैं कि नई पीढ़ी पढ़ती नहीं है तो आम तौर पर हमारा आशय यह होता है कि नई पीढ़ी साहित्य नहीं पढ़ती है, वह साहित्य जो हमें बहुत प्रिय है। इस बात को स्वीकार कर लिया जाना चाहिए कि समय के साथ रचियां बदलती हैं। किसी ज़माने में लोग के.एल. सहगल को सुनते थे, फिर बेगम अख़्तर को सुनने लगे और उसके बाद जगजीत सिंह प्रिय हो गए। अब वे भी पुराने हो गए हैं। कभी महाकाव्य लिखे जाते थे, वहां से चलते–चलते हम उस समकालीन कविता तक आ गए जिसमें न तुक है न लय (पारंपरिक अर्थ में)। कभी साहित्य की भाषा संस्कृत थी, अब हिलिश होने लगी है। तो बदलाव हमेशा होते हैं। अगर नई पीढ़ी की पढ़ने की रचियां बदली हैं तो बजाय उन रचियों की लानत मलामत करने के, हमें सदाशयता के साथ उन बदलावों को समझना होगा। इसी तरह जो सृजन कभी श्रुति परंपरा से ही प्रसारित होता था, वह ताड़ पत्र, हाथ से बनाई गई प्रतिलिपियों की राह से होता हुआ आज डेस्कटॉप पब्लिशिंग से भी आगे निकल चुका है। ऐसे में अगर आज की पीढ़ी कागज पर छपी किताब न पढ़कर टैब या स्मार्टफ़ोन के स्क्रीन पर पढ़ती है या उसे ऑडियो बुक के रूप में सुनती है तो इन बदलावों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। आज का समय भाग दौड़ का है। समय का सबके पास अभाव है। समय का भी और धैर्य का भी। जैसे हम जल्दी से जल्दी सब कुछ पा लेना चाहते हैं उसी तरह सृजन का आस्वाद भी बहुत जल्दी ले लेना चाहते हैं। ऐसे में दीर्घ रचनाओं का स्थान अगर लघु और अल्पत लघु रचनाओं ने ले लिया है, सृजन का रूप बदल रहा है। अगर रीस्प से यह पीढ़ी सृजन का आस्वाद लेती है तो इसे भी बदलाव के एक आयाम के रूप में देखा जाना चाहिए।

हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी का बहुत कुछ छोड़कर अपने लिए नया रचती–गढ़ती है। आज की जेन जी यही कर रही है। जो हमसे अलग है उसे नकारना ठीक नहीं। उसके प्रति सद्भावी रहकर उसे समझना होगा। मैंने यही करने का प्रयास किया है।

—अतिथि संपादक, डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (शिक्षाविद और साहित्यकार)

रोहिंग्या मुद्दे पर सीजेआई बधाई के पात्र हैं



सूर्यप्रतापसिंह राजावत

क्या हम रोहिंग्या लोगों का रेड कार्पेट पर स्वागत करें? भारत के मौजूदा चीफ जस्टिस सूर्यकांत कुमार ने हाल ही में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से यह सवाल पूछा। यह चिंता मानवीय मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय कानून से निपटते समय संवैधानिक नैतिकता के मुद्दे के साथ–साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भी दिखती है। भारत का संविधान भारत के नागरिकों और उन लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देता है जो भारत के नागरिक नहीं हैं, लेकिन भारत के कानूनी ढांचे के भीतर कानूनी दर्जा रखते हैं। कुछ ख़ास कानूनी प्रावधान हैं जो नागरिकता के मुद्दे से निपटते हैं, जैसे कि भारत के संविधान के भाग दो के तहत अनुच्छेद ५, ६, ७, ८ और ९, जो २६ नवंबर 1९४९ से ही लागू हैं। यह भारत के नागरिक की स्थिति और अधिकारों के महत्व और दायरे को दर्शाता है। भारत के संविधान के भाग तीन के तहत अनुच्छेद ३२ राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकार को लागू

करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका अवैध रोहिंग्या प्रवासियों के निर्वासन से संबंधित है । सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी बोनाफाइड्स साबित करने का निर्देश दिया है।

भारत के संविधान को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें भारत के लोगों के वर्गीकरण को समझना होगा। पहला, भारत के वे लोग जो संविधान के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए कानूननागरिकता अधिनियम, १९५५ के अनुसार भारत के नागरिक हैं। भारतीय नागरिकता जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण या क्षेत्र के समावेश द्वारा प्राप्त की जा सकती है। दूसरा, वे लोग जो आप्रवास और विदेशियों का अधिनियम, २०२५ के अनुसार पासपोर्ट और वीजा के रूप में सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमति लेकर भारत में निवास करते हैं या बस जाते हैं। और तीसरा, वे लोग हैं जो सक्षम आर्थीट्री को भी वीजा के बिना भारत में रहने या बसने में कामयाब हो गए हैं, जिन्हें अवैध प्रवासी या घुसपैठिए कहा जाता है। नागरिकों, व्यक्ति्यों और भारत की ज़मीन पर बिना किसी कानूनी दर्जे वाले तीसरे वर्ग के लोगों के मौलिक अधिकारों में साफ़ अंतर है। कानूनी तौर पर, भारत ने आज तक १९५१ के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन या उसके १९६७ के प्रोटोकॉल पर साइन नहीं किया है। यह व्यापक रूप से बताया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को धर्मशाला न बनाने के कारण

लोकतंत्र और खुलापन इस प्राचीन ज़मीन की पहचान रहे हैं। भारत को इस पर गर्व है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया आधुनिक युग की चुनौतियों के समाधान के लिए भारत की ओर देख रहा है। लेकिन भारत की १५००० किलोमीटर से ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सात पड़ोसी देशों के साथ लगी है, जिसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश (४,०९६.७ किमी) और सबसे छोटी अफगानिस्तान (१०६ किमी) के साथ है, जो भारत की सुरक्षा चिंताओं को उजागर करती है। इसमें चीन (३,४८८ किमी), पाकिस्तान (३,३२३ किमी), नेपाल (१,७५१ किमी), म्यांमार (१,६४३ किमी) और भूटान (६९९ किमी) के साथ बड़ी सीमाएँ शामिल हैं। साथ ही, अस्थिर और बदलती दुनिया की व्यवस्था, आतंकवाद का खतरा, अवैध प्रवासियों और घुसपैठियों के साथ मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियाँ ऐसी ही चिंताओं को दर्शाती हैं।

मानवीय चिंताएँ भारत के नागरिकों के लिए सीमित संसाधनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। गरीबी अभी भी भारत के लाखों नागरिकों के लिए एक कड़वी सच्चाई है। रोहिंग्या जैसे अवैध प्रवासियों को सब्सिडी वाला भोजन, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएँ देना तथाकथित एंक्टिविस्टों के परोपकारी अहंकार (सालिक अहंकार) की ही बढावा है।

प्राचीन भारत इस घर्ती पर सबसे पुरानी सभ्यताओं का उद्गमस्थल रहा है। विविधता, सबको साथ लेकर चलना,

C M K

लोकतंत्र में विधानों के प्रेरक स्रोत

से ही सत्ताधारी वर्ग का अस्तित्व बना रहता है।

सीमित करने वाले कानून (Limiting Law) : सीमित करने वाले कानूनों के माध्यम से किसी वर्ग विशेष समुदाय पर पाबंदी लगाई जाती है जिस वह किसी सामंजस्य में इस प्रकार के कानूना बनाने की अनिवार्यता प्रतिपादित की गई है। ऐसे कानून नहीं बना पाना संविधान के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रतिबंधित करने वाले कानून (इंटरंप्रूडैंट) : प्रतिबंधित करने वाले कानून आम जनता पर या किसी वर्ग पर (स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी वर्ग पर) कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए होते हैं, कि फ़लां काम नहीं किया जाए या ऐसा नहीं किया जाये या वैसा नहीं किया जाये। ऐसे कानून प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के पूरक होते हैं, जिन मामलों, परिस्थितियों को तत्काल समाप्त तो नहीं किया जा सकता, परंतु उन पर फिलहाल तब तक रोक लगा दी जाती है जग तक कि उन्हें समाप्त करने की परिस्थितियां पैदा नहीं की जा सकती। जैसे, गरीबी उन्मूलन और असमानता को मिटाने जैसे विषय इसी श्रेणी में आते हैं। फिलहाल, अभी तक बनाये गये इस प्रकार के कानूनों के संबंध में कहने को तो यही प्रचारित किया जाता है कि ऐसे कानून के माध्यम से लगाये गये कथित प्रतिबंध आम जनता के हित में हैं, परन्तु ये निश्चित तौर पर सत्ताधारी वर्ग के हित में ही होते हैं।

इससे सत्ताधारी वर्ग के हितों और विचारधरा को ही बल प्रदान किया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से इन प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के द्वारा उन वर्गों, गुटों या समुदायों का अस्तित्व समाप्त करने वाले प्रयास नहीं होता है, क्योंकि उनके अस्तित्व

से ही सत्ताधारी वर्ग का अस्तित्व बना रहता है।

सीमित करने वाले कानून (Limiting Law) : सीमित करने वाले कानूनों के माध्यम से किसी वर्ग विशेष समुदाय पर पाबंदी लगाई जाती है जिस वह किसी सामंजस्य में इस प्रकार के कानूना बनाने की अनिवार्यता प्रतिपादित की गई है। ऐसे कानून नहीं बना पाना संविधान के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रतिबंधित करने वाले कानून (इंटरंप्रूडैंट) : प्रतिबंधित करने वाले कानून आम जनता पर या किसी वर्ग पर (स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी वर्ग पर) कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए होते हैं, कि फ़लां काम नहीं किया जाए या ऐसा नहीं किया जाये या वैसा नहीं किया जाये। ऐसे कानून प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के पूरक होते हैं, जिन मामलों, परिस्थितियों को तत्काल समाप्त तो नहीं किया जा सकता, परंतु उन पर फिलहाल तब तक रोक लगा दी जाती है जग तक कि उन्हें समाप्त करने की परिस्थितियां पैदा नहीं की जा सकती। जैसे, गरीबी उन्मूलन और असमानता को मिटाने जैसे विषय इसी श्रेणी में आते हैं। फिलहाल, अभी तक बनाये गये इस प्रकार के कानूनों के संबंध में कहने को तो यही प्रचारित किया जाता है कि ऐसे कानून के माध्यम से लगाये गये कथित प्रतिबंध आम जनता के हित में हैं, परन्तु ये निश्चित तौर पर सत्ताधारी वर्ग के हित में ही होते हैं।

इससे सत्ताधारी वर्ग के हितों और विचारधरा को ही बल प्रदान किया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से इन प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के द्वारा उन वर्गों, गुटों या समुदायों का अस्तित्व समाप्त करने वाले प्रयास नहीं होता है, क्योंकि उनके अस्तित्व

से ही सत्ताधारी वर्ग का अस्तित्व बना रहता है।

सीमित करने वाले कानून (Limiting Law) : सीमित करने वाले कानूनों के माध्यम से किसी वर्ग विशेष समुदाय पर पाबंदी लगाई जाती है जिस वह किसी सामंजस्य में इस प्रकार के कानूना बनाने की अनिवार्यता प्रतिपादित की गई है। ऐसे कानून नहीं बना पाना संविधान के निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है।

प्रतिबंधित करने वाले कानून (इंटरंप्रूडैंट) : प्रतिबंधित करने वाले कानून आम जनता पर या किसी वर्ग पर (स्पष्ट रूप से प्रतिद्वंद्वी वर्ग पर) कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए होते हैं, कि फ़लां काम नहीं किया जाए या ऐसा नहीं किया जाये या वैसा नहीं किया जाये। ऐसे कानून प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के पूरक होते हैं, जिन मामलों, परिस्थितियों को तत्काल समाप्त तो नहीं किया जा सकता, परंतु उन पर फिलहाल तब तक रोक लगा दी जाती है जग तक कि उन्हें समाप्त करने की परिस्थितियां पैदा नहीं की जा सकती। जैसे, गरीबी उन्मूलन और असमानता को मिटाने जैसे विषय इसी श्रेणी में आते हैं। फिलहाल, अभी तक बनाये गये इस प्रकार के कानूनों के संबंध में कहने को तो यही प्रचारित किया जाता है कि ऐसे कानून के माध्यम से लगाये गये कथित प्रतिबंध आम जनता के हित में हैं, परन्तु ये निश्चित तौर पर सत्ताधारी वर्ग के हित में ही होते हैं।

इससे सत्ताधारी वर्ग के हितों और विचारधरा को ही बल प्रदान किया जाता है। आश्चर्यजनक रूप से इन प्रतिबंधित करने वाले कानूनों के द्वारा उन वर्गों, गुटों या समुदायों का अस्तित्व समाप्त करने वाले प्रयास नहीं होता है, क्योंकि उनके अस्तित्व

से ही सत्ताधारी वर्ग का अस्तित्व बना रहता है।



राम निवास बैरवा

इन दिनों कानूनों की चीर–फाड़ का दौर चल रहा है। पिछले साल नवंबर, २०२४ में संविधान के अनुच्छेद ३९ के साठ दशक पुराने मामले में नौ जजों की संविधान पीठ के फैसले पर दो जजों ने शेष सात जजों के फैसले पर ऐतराज दर्ज किया था। यह संविधान के प्रवधानों की व्याख्या से जुड़ा था। अभी राज्यपालों और राष्ट्रपति के द्वारा विधानसभाओं द्वारा पारित कानूनों को अनिश्चित काल तक रोक रखने का मामला, बिहार में मतदाता सूचियों में असामयिक संशोधन के मामले में चुनाव आयुक्त की भूमिका का मामला, आदि की सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। जो भी तर्क–वितर्क सुनने को मिल रहे हैं उनमें व्यक्तिगत बचाव और संवैधानिक प्रतिबद्धता का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा मुखरित हो रहा है।

स्पष्ट है कि प्रत्येक गुट की, प्रत्येक समुदाय की, प्रत्येक वर्ग की अपनी–अपनी आवश्यकताएँ होती हैं और उनके प्रतिद्वंद्वी गुट, समुदाय या वर्ग के उनके कानून बनाने का अधिकार होने पर वह कानून बनाते समय अपने हितों को प्राथमिकता देता है, अपने लिये विशेष सुरक्षा प्रावधान

भीलवाड़ा, (निर्सं)। जिले में शक्करगढ़ कृषि विभाग के निर्देशन में शक्करगढ़ कार्य विभाग काई के माध्यम से खाद वितरण किया गया। खाद लेने के लिए बैड़, बरोदा, बाकरा, खेरुना, टोटोडा सहित कई ग्राम पंचायतों के किसान बड़ी संख्या में शक्करगढ़ पहुंचे। सुबह से ही वितरण केंद्र पर किसानों की लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान कुल ७८० क्वेड खाद का वितरण किया गया, लेकिन मांग अधिक होने के कारण कई किसान खाद नहीं मिलने से निराश होकर लौटे। किसानों का कहना है कि रबी सीजन के चलते खाद की आवश्यकता बढ़ गई है, जबकि आपूर्ति सीमित होने से परेशानी हो रही

शक्करगढ़ में खाद नहीं मिलने से कई किसान निराश होकर लौटे

■ **खाद वितरण को लेकर किसानों की भारी भीड़, ७८० क्वे ही बांटे**

है। खाद वितरण कार्य में सहायक कृषि अधिकारी अमित कुमार जागेटिया, कृषि प्रबेक्षक मस्तुराम मीना एवं अंजली मीना मौजूद रहे। आधार कार्ड सत्यापन के बाद ही किसानों को खाद उपलब्ध कराया गया। किसानों ने विभाग से शीघ्र और पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की मांग की है, ताकि सभी ज़रूरतमंद किसानों को समय पर खाद मिल सके और फसल उत्पादन प्रभावित न हो।

मिथुन
व्यावसायिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। नौकरपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। खात-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

धनु
आर्थिक/वित्तीय मामलों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। संभावित ख़ोस से घन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

मकर
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक यात्रा/सुमरता से बचने लगेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है।

शुक्रवार, १५ दिसम्बर २०२५

राजगढ़ धाम में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया

अजमेर, (निर्सं)। राजस्थान सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मसणिया भैव धाम, राजगढ़ में ब्लॉक स्तरीय स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज के सान्निध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी नसीराबाद देवी लाल यादव तथा विकास अधिकारी श्रीनगर महेश चौधरी की उपस्थिति में भैव धाम परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ-सफाई की गई। चंपालाल महाराज ने सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं देते हुए स्वच्छता अभियान के लिए आभार व्यक्त किया। मंदिर समिति की ओर से अतिथियों का स्वागत किया गया।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। नौकरपेशा व्यक्तियों की उच्चधिकारियों से सहयोग मिलेगा।

मीन
चन्द्रमा अग्रम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बचने कार्य विगड़ सकते हैं। यात्रा में परेशानी हो सकती है।



पंडित अनिल शर्मा

तुला, मंगल-धनु, बुध-वृश्चिक, गुरु-मिथुन, शुक्र-वृश्चिक, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।
आज पौष संक्रांति, सूर्य मूल धनु में प्रवेश रात्रि ४:२० पर करेगा। शुक्र अस्त पूर्ण में प्रातः ८:०० पर होगा। आज सफला एकादशी व्रत है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: अमृत सूर्योदय से ८:३० तक, शुभ ९:४७ से ११:०४ तक, चर १:३९ से २:५७ तक, लाभ-अमृत २:५७ से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: ७:३० से ९:०० तक। सूर्योदय ७:१२, सूर्यास्त ५:३१ तक

शुक्रवार, १५ दिसम्बर २०२५

शुक्रवार, १५ दिसम्बर २०२५